

कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या-9/उपांकीट०अनु०-13/2013-
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक 2015

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सुनील कुमार गुप्ता,
मेसर्स वन्या एग्रो,
H/O श्री अरुण कुमार,
रुकमणी भवन, छोटी पहाड़ी,
अगम कुँआ रोड, पटना-7

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 77 दिनांक 06.08.2013 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजात तथा उप निदेशक (पौ०सं०) पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में विहित प्रावधानों के तहत मे० मारगोसा बायोग्रो (इण्डिया) प्रा० लि०, बड़ोदरा, गुजरात एवं मे० प्लान्ट रेमेडिज प्रा० लि०, इण्डस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर द्वारा निर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि के आलोक में निम्न सूची अनुसार कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या-77 दिनांक 06.08.2013 को दिनांक 31.12.2016 तक के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम	वैधता तिथि
1		ACETAMIPRID 20% SP	31.12.2016
2		ALPHAMETHRIN 10%EC	31.12.2016
3		AMMONIUM SALT OF GLYPHOSATE 71% SG	31.12.2016
4		CARBENDAZIM 12% + MANCOZEB 63%WP	31.12.2016
5		CARTAP HYDROCHLORIDE 4% GR	31.12.2016
6		CARTAP HYDROCHLORIDE 50% SP	31.12.2016
7		CHLORPYRIPHOS 20% EC	31.12.2016
8		CYPERMETHRIN 10% EC	31.12.2016
9		CYPERMETHRIN 25% EC	31.12.2016
10		FENAZAQUIN 10% EC	31.12.2016
11		GLYPHOSATE 41% SL	31.12.2016
12		HEXAACONAZOLE 5% SC	31.12.2016
13	मे० मारगोसा	IMIDACLOPRID 17.8% SL	31.12.2016
14	बायोग्रो (इण्डिया)	IMIDACLOPRID 30.5% SC	31.12.2016
15	प्रा० लि०, बड़ोदरा,	IMIDACLOPRID 48% FS	31.12.2016
16	गुजरात	IMIDACLOPRID 70% WS	31.12.2016
17		INDOXACARB 14.5% SC	31.12.2016
18		METALAXYL 35% WS	31.12.2016
19		METALAXYL 8% + MANCOZEB 64% WP	31.12.2016
20		METHOMYL 40%SP	31.12.2016
21		METSULFURON METHYL 20%WP	31.12.2016
22		MONOCROTHOPHOS 36% SL	31.12.2016
23		PARAQUAT DICHLORIDE 24% SL	31.12.2016
24		PHORATE 10% C.G.	31.12.2016
25		PRETILACHLOR 50% EC	31.12.2016
26		PROFENOFOS 40% + CYPERMETHRIN 4% EC	31.12.2016
27		PROFENOFOS 50% EC	31.12.2016
28		PROPINEB 70%WP	31.12.2016
29		SULPHUR 80%WDG	31.12.2016

30		SULPHUR 80% WP	31.12.2016
31		THIAMETHOXAM 25% WG	31.12.2016
32		THIODICARB 75% WP	31.12.2016
33		TRIACONTANOL EC 0.05% Min.	31.12.2016
34		ZINC PHOSPHIDE 80% W/V	31.12.2016
35	मे० प्लान्ट रेमेडिज प्रा० लि०, इण्डस्ट्रीयल एरिया, हाजीपुर	CYPERMETHRIN 25% EC	31.12.2015
36		FENVALERATE 4% DUST	31.12.2015
37		ALPHAMETHRIN 10% EC	31.12.2015
38		CARBENDAZIM 12% + MANCOZEB 63% WP	31.12.2015
39		IMIDACLOPRID 17.8 % SL	31.12.2015
40		METALAZYL 8% + MANCOZEB 64% WP	31.12.2015
41		HEXACONAZOLE 5% EC	31.12.2015
42		CYPERRMETHRIN 10% EC	31.12.2015

2. उपर्युक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मे० वन्या एग्रो, हाउस ऑफ- श्री अरुण कुमार, रूकमणी भवन, छोटी पहाड़ी, अगमकुँआ रोड, पटना-7

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

4- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

5- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

6- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

7- आदेश दिया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधान के अनुरूप उपर्युक्त प्रतिवद्धता एवं शर्तें आपके द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अन्यथा आपकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है।

8- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-77 दिनांक-06.08.2013 मूल रूप से संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाए।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2264

/क०, पटना, दिनांक 16-05-2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।